UPUN010010822025

<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश, उन्नाव</u>
पीठासीन अधिकारी का नाम–वाणी रंजन अग्रवाल
<u>आई0 डी0 नं0–यूपी 5674</u>

द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–477 / 2025

छोटू उर्फ दिवाकर पुत्र राम प्रसाद निवासी दयालखेड़ा थाना कोतवाली सदर जिला उन्नाव।

————————अभियुक्त।

प्रति

सरकार उ0प्र0।

————————अभियोगी ।

अपराध सं0–166 / 2024
धारा–413 भा0दं0सं0
थाना–फतेहपुर चौरासी, ज़िला उन्नाव।

<u>18.02.2025</u>

प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी / अभियुक्त छोटू उर्फ दिवाकर की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–166 / 2024 धारा–413 भा0दं0सं0, थाना–फतेहपुर चौरासी, ज़िला उन्नाव के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना–पत्र मे अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र है। दौरान विवेचना धारा 413 भा0दं0सं0 की वृद्धि होने के कारण यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा दीपक कुमार की ओर से एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 06.06.2024 को इस आशय की दर्ज कराई गयी कि, दिनांक 04 / 05.06.2024 को रात 1.40 बजे चोरों ने तीन बकरियां खोलीं, दो बकरियां चार पहिया वाहन में डाली मौके पर सो रहे बाबू लाल गाड़ी की तरफ दौड़े तो कार सवार चोरों ने बाबूलाल को गाड़ी से रौंदकर घायल कर दिया। चिल्लाने पर सोने लाल, इन्दल, जसवन्त गाड़ी के पास पहुॅच गया तो चारो ने उसके शरीर पर स्प्रे डाला एवं चाकू से वार करने की कोशिश की तो सोने लाल ने अपनी ओर जसवन्त को खींचा और उसका बचाव कर लिया, चोर तेज रफ्तार से लवानी की ओर फरार हो गये, 112 नंबर डायल कर सूचना दी, मौके पर एम्बुलेंस पहुॅच गयी तो परिजन सी0एच0सी0 फतेहपुर लेकर गए, डाक्टरो ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल ने बाबूलाल को मृतक घोषित कर दिया।

प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र में मूल तर्क यह लिये गये कि, वह बेगुनाह है और उसे महज रंजिशन पुलिस द्वारा गुडवर्क दिखाने के लिए झूठा फंसाया गया है। उसकी संलिप्तता प्रकरण में सह अभियुक्त के बयान के आधार पर की गयी है। घटनाक्रम में कोई चक्षुदर्शी साक्षी या प्रमाणिक साक्ष्य विवेचना में संकलित नही किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में उसके द्वारा स्वंय न्यायालय में विवेचक द्वारा विवेचना के अनुक्रम में प्रेषित रिपोर्ट के अनुक्रम में आत्मसमर्पण किया गया है। उसकी कोई शिनाख्त वादी या पीड़ित द्वारा नही कराई गयी है। सम्पूर्ण प्रकरण में इस सन्दर्भ में कोई साक्ष्य विवेचना

में एकत्र नही किया गया है कि उसके द्वारा उन्हे पूर्व में किसी प्रकार का सामान चोरी द्वारा अभयस्ता खरीदा गया है उन्हे बेचा गया है।

विद्वान ज़िला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ज़िला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात कार सवारो के विरूद्ध 4/5.06.2024 की रात्रि लगभग 01.40 मिनट पर बकरियो की चोरी के सम्बन्ध में पंजीकृत कराई गयी है। चोरो के द्वारा दो बकरियां अपने वाहन में डालने पर बाबू लाल पुत्र हीरा के जग जाने तथा वाहन की ओर दौड़ने पर उन्हे गाड़ी से रौंध कर घायल कर देने का उल्लेख किया गया है। जिनकी दौरान चिकित्सा मृत्यु हो गयी। घटना के समय सोने लाल, इंदल और जसवंत के भी गाड़ी के पास पहुॅचने पर जसवंत के शरीर पर स्प्रे डालना और चाकू से वार करने के प्रयास का उल्लेख है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 06.06.2024 को विलंब से पंजीकृत कराई गयी है। मेडिकल रिपोर्ट में जसवंत के शरीर पर कोई भी चोट नही पाई गयी है। मृतक के शव के पंचनामे में उसके शरीर पर धारदार हथियार की चोट के कारण रक्तश्राव होने गिरने व रगड़ जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। दाहिने कंधे व पेट के पास धारदार हथियार की चोट का उल्लेख है। पंचायतनामे के साक्षी इन्दल व सोने लाल भी है, परन्तु उनके द्वारा वाहन से कुचल दिए जाने के कारण मृत्यु होने के सम्बन्ध में पंचायतनामे के समय कोई राय व्यक्त नही की गयी है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर Abraded, contusion & lecerated की प्रकृति की कुल 07 चोटो का उल्लेख है। मृतक के बाए पैर की हड्डी भी टूटी पाई गयी है। मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व चोट से उत्पन्न सदमा और रक्तश्राव होने की सम्भावना बताई गयी है।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना में कथित रूप से प्रयुक्त की गयी कार का नंबर स्पष्ट नही हो सका है। दौरान विवेचना पूर्व पशु चोर अंकित उर्फ मतंडी का बयान केस डायरी के पर्चा नं0 11 में अंकित किया गया है। उसके द्वारा अपने गैंग में जंगली, धीरज और संजय के सम्मिलित होना बताया गया है तथा कथन किया गया कि धीरज अलग गैंग चलाते है। उनके गैंग में विजय दिवाकर व मंटू है। यह सभी खागा फतेहपुर से क्रेता की गाडी लाते है और चुराए गए पशु वही बेच देते है। क्रेता के रूप में बादशाह उर्फ झुर्री, जूबी व मैडम समा का नाम बताया गया है। पुलिस के द्वारा मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर औरा कार संख्या यूपी 72बीवी 1036 से 04 व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया। जिसमें बायी तरफ बैठे व्यक्ति विजय के कब्जे से अवैध असलहे बरामद किए गए है। वाहन चालक सह अभियुक्त प्रियम के द्वारा अपनी संस्वीकृति के बयान में घटना वाले दिन बाबू लाल को कार से कुचल कर मारने तथा बकरियो की चोरी करना स्वीकार किया है। वाहन के पीछे बैठे अंकित और रामाश्रय के द्वारा भी चालक प्रियम के कथनो का समर्थन किया गया है। अभियुक्तगण की संस्वीकृति के बयान के आधार पर प्रियम, अंकित, विजय, धीरज और मण्टू के घटना में शामिल होने का तथ्य प्रकाश में आया है।

अभियुक्त के कब्जे से नगद रूपए के अतिरिक्त चोरी की बकरियां बरामद नही की गयी है। गिरफ्तारी और बरामदगी का कोई स्वतंत्र जन साक्षी नही बनाया गया है। सह अभियुक्त प्रियम के संस्वीकृति के बयान में घटना के दिन उसके साथ वाहन पर अंकित, विजय, धीरज व मण्टू के बैठे होने का कथन किया गया है। सह अभियुक्त प्रियम की जमानत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 23.10.2024

के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। मामले के उपरोक्त परिस्थितियो में अभियुक्त को भी कुछ शर्तो के साथ जमानत पर छोड़े जाने का संतोषजनक आधार है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त छोटू उर्फ दिवाकर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–477/2025 निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है।

1. अभियुक्त द्वारा मु0–1,00,000/–रूपये का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए।
2. अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
3. अभियुक्त गवाहो पर बेजा दबाव नही डालेगा।

(वाणी रंजन अग्रवाल)
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।
18.02.2025

Digitally signed by Vani Ranjan Agrawal
Date: 2025.02.21 12:26:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court